

कपड़ा मंत्रालय

मांग संख्या 98

वस्त्र मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3098.88	48.09	3146.97	3591.61	40.03	3631.64	11408.81	40.51	11449.32	12357.11	25.03	12382.14
वसूलियां	-37.52	...	-37.52
प्राप्तियां
निवल	3061.36	48.09	3109.45	3591.61	40.03	3631.64	11408.81	40.51	11449.32	12357.11	25.03	12382.14
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	28.13	...	28.13	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	45.00	...	45.00
2. वस्त्र आयुक्त	39.72	...	39.72	50.00	...	50.00	48.60	...	48.60	50.00	...	50.00
3. जूट आयुक्त	10.34	...	10.34	12.00	...	12.00	12.28	...	12.28	12.00	...	12.00
4. विकास आयुक्त (हथकरघा)	80.00	20.00	100.00
5. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	125.00	...	125.00
6. नियमित प्रोत्साहन अध्ययन और गतिविधियां	5.00	...	5.00
7. सीओपी और सीओपी जूट	0.18	...	0.18
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	78.19	...	78.19	102.00	...	102.00	100.88	...	100.88	317.18	20.00	337.18
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
8. संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	556.38	...	556.38	700.00	...	700.00	650.00	...	650.00	650.00	...	650.00
9. भारतीय कपास निगम द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कपास की खरीद	662.71	...	662.71	136.00	...	136.00	8439.88	...	8439.88	9243.09	...	9243.09
राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम												
10. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	160.35	19.21	179.56	200.00	20.00	220.00	160.00	20.00	180.00	200.00	...	200.00
11. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण स्कीम	0.05	...	0.05	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50
12. रेशा आपूर्ति स्कीम	60.32	...	60.32	155.00	...	155.00	105.00	...	105.00
13. व्यापार सुविधा केंद्र और हस्तशिल्प संग्रहालय	13.50	...	13.50	7.50	...	7.50
14. हथकरघा क्लस्टर विकास योजना - हथकरघा मेगा क्लस्टर	8.68	...	8.68	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00
15. बुनकर सेवा केंद्र	50.23	...	50.23	61.50	...	61.50	55.00	...	55.00
16. अन्य हथकरघा योजनाएं	28.07	...	28.07	34.32	...	34.32	33.00	...	33.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	307.70	19.21	326.91	475.32	20.00	495.32	366.00	20.00	386.00	200.00	...	200.00
राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम												
17. राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)	195.00	5.00	200.00
18. प्रशिक्षण एवं विस्तार	13.23	...	13.23	18.00	...	18.00	16.00	...	16.00
19. डिज़ाइन एवं तकनीकी उन्नयन योजना	50.88	...	50.88	74.00	...	74.00	54.00	...	54.00
20. अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	19.56	...	19.56	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
21. विपणन सहायता एवं सेवाएं	24.05	...	24.05	55.00	...	55.00	40.00	...	40.00
22. हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजनाएं	24.04	...	24.04	29.00	...	29.00	15.00	...	15.00
23. अनुसंधान एवं विकास - हस्तशिल्प	5.85	...	5.85	9.50	...	9.50	9.00	...	9.00
24. मानव संसाधन विकास - हस्तशिल्प	17.80	...	17.80	26.00	...	26.00	20.00	...	20.00
25. अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास योजना	4.70	28.20	32.90	16.00	20.00	36.00	16.00	20.00	36.00
26. व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास कार्यक्रम - हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर	19.31	...	19.31	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	20.00	...	20.00
27. अन्य हस्तशिल्प योजनाएं	52.93	...	52.93	65.00	...	65.00	54.50	...	54.50
जोड़-राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम	232.35	28.20	260.55	337.50	20.00	357.50	269.50	20.00	289.50	215.00	5.00	220.00
ऊनी वस्त्र का विकास												
28. एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम	9.33	...	9.33	16.50	...	16.50	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00
रेशम वस्त्र का विकास												
29. केन्द्रीय रेशम बोर्ड	650.00	...	650.00	875.00	...	875.00	875.00	...	875.00	875.00	...	875.00
30. रेशम मेगा क्लस्टर	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़-रेशम वस्त्र का विकास	650.00	...	650.00	876.00	...	876.00	876.00	...	876.00	875.00	...	875.00
पटसन उद्योग का विकास												
31. जूट क्षेत्र के विकास हेतु योजना	40.00	...	40.00	80.00	...	80.00	60.00	...	60.00	70.00	...	70.00
32. बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को सन्मिडी	30.00	...	30.00	70.00	...	70.00	50.00	...	50.00	45.00	...	45.00
33. अन्य (आईजेआईआरए, सीओपीजेसी)	1.50	...	1.50	3.01	...	3.01	2.01	...	2.01
जोड़-पटसन उद्योग का विकास	71.50	...	71.50	153.01	...	153.01	112.01	...	112.01	115.00	...	115.00
विद्युत करघा संवर्धन योजना												
34. पावर टेक्स इंडिया	54.33	0.68	55.01	50.00	...	50.00	35.00	0.48	35.48
35. व्यापक विद्युत करघा क्लस्टर विकास कार्यक्रम - विद्युत करघा मेगा क्लस्टर	24.28	...	24.28	12.00	...	12.00
जोड़-विद्युत करघा संवर्धन योजना	54.33	0.68	55.01	74.28	...	74.28	47.00	0.48	47.48
वस्त्र अवसंरचना												
36. एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना	49.71	...	49.71	75.00	...	75.00	45.00	...	45.00	70.00	...	70.00
37. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना	79.91	...	79.91	80.00	...	80.00	55.00	...	55.00
38. वस्त्र समिति को सहायक	65.55	...	65.55	45.00	...	45.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
39. फ्लैट फैक्टरी सह इन्क्यूबेटर	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00	1.00	...	1.00
जोड़-वस्त्र अवसंरचना	198.17	...	198.17	204.00	...	204.00	126.00	...	126.00	95.00	...	95.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अनुसंधान और क्षमता निर्माण												
40. निर्यात संवर्धन के लिए अध्ययन	1.61	...	1.61	30.00	...	30.00	3.84	...	3.84
41. टैक्सटाइल हेतु उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम	0.50	...	0.50	15.00	...	15.00
42. अन्य (टीआरए, सीओपी)	11.16	...	11.16	17.00	...	17.00	16.76	...	16.76
43. एकीकृत कौशल विकास योजना	100.00	...	100.00	90.00	...	90.00	100.00	...	100.00
44. वस्त्र अनुसंधान एवं विकास	3.57	...	3.57	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
45. राष्ट्रीय फ्रैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	91.70	...	91.70	100.00	...	100.00	95.00	...	95.00	120.00	...	120.00
46. तकनीकी वस्त्र पर प्रौद्योगिकी मिशन	90.97	...	90.97
47. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन	100.00	...	100.00	60.00	...	60.00	100.00	...	100.00
48. टैक्सटाइल क्लस्टर विकास योजना	133.83	...	133.83
जोड़-अनुसंधान और क्षमता निर्माण	199.01	...	199.01	357.00	...	357.00	276.10	...	276.10	478.83	...	478.83
एनईआर वस्त्र संवर्धन योजना												
49. एनईआर वस्त्र संवर्धन योजना	78.38	...	78.38	75.00	...	75.00	49.94	...	49.94
50. पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव-वस्त्रों के उपयोग की योजना	0.83	...	0.83
जोड़-एनईआर वस्त्र संवर्धन योजना	79.21	...	79.21	75.00	...	75.00	49.94	...	49.94
51. पीएम-एमआईटीआरए	0.50	...	0.50	15.00	...	15.00
52. हथकरघा का उत्पादन और हथकरघा का कार्यान्वयन (वस्तु और उत्पादन का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के रक्षण हेतु स्कीम	5.00	...	5.00
53. खुदरा सामग्री आपूर्ति योजना	105.00	...	105.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	3020.69	48.09	3068.78	3404.61	40.00	3444.61	11222.93	40.48	11263.41	12011.92	5.00	12016.92
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
54. टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन और आईजेआईआरए	17.00	...	17.00
55. भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी)	9.00	...	9.00
56. सरदार बल्लभभाई पटेल टैक्सटाइल प्रबंधन संस्थान को सहायता	0.50	...	0.50
जोड़-स्वायत्त निकाय	26.50	...	26.50
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
57. राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
58. बर्ड जूट निर्यात निगम	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
59. ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
60. पीएसयू को सहायता	85.00	...	85.00	85.00	...	85.00	0.01	...	0.01
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	85.00	0.03	85.03	85.00	0.03	85.03	0.01	0.03	0.04
अन्य												
61. कपास और कपास सलाहकार समिति के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को योगदान	1.50	...	1.50
62. वास्तविक वसूलियां	-37.52	...	-37.52

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अन्य	-37.52	...	-37.52	1.50	...	1.50
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	-37.52	...	-37.52	85.00	0.03	85.03	85.00	0.03	85.03	28.01	0.03	28.04
कुल जोड़	3061.36	48.09	3109.45	3591.61	40.03	3631.64	11408.81	40.51	11449.32	12357.11	25.03	12382.14
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्राम एवं लघु उद्योग	1236.59	...	1236.59	1637.46	...	1637.46	1441.38	...	1441.38	1513.14	...	1513.14
2. उद्योग	1796.64	...	1796.64	1687.01	...	1687.01	9740.37	...	9740.37	10673.11	...	10673.11
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	28.13	...	28.13	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	45.00	...	45.00
4. ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	48.09	48.09	...	40.00	40.00	...	40.48	40.48	...	25.00	25.00
5. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
जोड़-आर्थिक सेवाएं	3061.36	48.09	3109.45	3364.47	40.03	3404.50	11221.75	40.51	11262.26	12231.25	25.03	12256.28
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	227.14	...	227.14	187.06	...	187.06	125.86	...	125.86
जोड़-अन्य	227.14	...	227.14	187.06	...	187.06	125.86	...	125.86
कुल जोड़	3061.36	48.09	3109.45	3591.61	40.03	3631.64	11408.81	40.51	11449.32	12357.11	25.03	12382.14

1. **सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **वख आयुक्त:** वख आयुक्त विनियामक आदेशों को क्रियान्वित करता है, विद्युत करघा सेवा केंद्रों का संचालन करता है, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) और कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन को मॉनीटर करता है, वख आदि के डाटाबेस का रख-रखाव करता है।

3. **जूट आयुक्त:** पटसन आयुक्त भारत में पटसन उद्योग के विकास की देखभाल करता है और पटसन वख (नियंत्रण) आदेश, 1956 और पटसन (अनुज्ञा एवं नियंत्रण) आदेश, 1961 का संचालन भी करता है जिसे अब समामेलित कर दिया गया है और जिसे पटसन एवं पटसन वख (नियंत्रण) आदेश, 2000 के रूप में जाना जाता है।

4. **आयुक्त का विकास (हथकरघा):** व्यय, विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय से संबंधित स्थापना व्यय, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय और अन्य विविध व्यय से संबंधित है।

5. **आयुक्त का विकास (हस्तशिल्प):** व्यय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय से संबंधित स्थापना व्यय, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय और अन्य विविध व्यय से संबंधित है।

6. **निर्यात प्रोत्साहन अध्ययन और गतिविधियां:** इसका कार्य निर्यात को बढ़ावा देना, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान, परामर्श, वख और कपड़ा मशीनरी के लिए मानक स्थापित करना, प्रयोगशालाओं की स्थापना और डेटा संग्रह करना है।

7. **सीओपी और सीओपी जूट:** भुगतान आयुक्त एवं पटसन कंपनियों के भुगतान आयुक्त के व्यय की स्थापना।

8. **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना:** यह योजना पात्र मशीनरी के लिए एकबारगी पूंजी सस्मिडी के साथ वख उद्योग के संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करती है।

9. **भारतीय कपास निगम द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम के तहत कपास की खरीद:** भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को समर्थन मूल्य अभियान चलाने का अधिदेश दिया गया है। जब कभी कपास का बाजार मूल्य कम होता है/न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बराबर होता है, तो सीसीआई एमएसपी पर समर्थन मूल्य अभियान चलाता है और कपास की खरीद करता है। समर्थन मूल्य अभियान के कारण हानि, यदि कोई, होती है, तो सरकार द्वारा सीसीआई को प्रतिपूर्ति की जाती है।

10. **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम:** योजना में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना, यार्न आपूर्ति योजना, व्यापार सुविधा केंद्र एवं शिल्प संग्रहालय, सीएचसीडीएस-हथकरघा मेगाकलस्टर, बुनकर सेवा केंद्र और अन्य हथकरघा कार्यक्रम शामिल होते हैं।

11. **हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण स्कीम:** i) हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना ii) हथकरघा बुनकरों को जीवन बीमा कवर प्रदान करना

12. **रेशा आपूर्ति स्कीम:** एनएचडीसी के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार के रेशा मुहैया करना।

13. **व्यापार सुविधा केंद्र और हस्तशिल्प संग्रहालय:** वाराणसी के हथकरघा की समृद्ध परम्परा का विकास और संवर्धन करना
14. **हथकरघा क्लस्टर विकास योजना - हथकरघा मेगा क्लस्टर:** आधुनिक अवसंरचना सहित सुविधाओं की स्थापना करने के लिए उद्यमियों/बुनकरों को सहायता करना, बड़े हुए बाजार हिस्से के संबंध में क्लस्टरों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और उत्पादों के उच्च इकाई मूल्य वसूली द्वारा उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करना। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवेकशील एवं बदलते बाजार मांग को पूरा करना और बुनकरों के जीवन स्तर को बढ़ाना।
15. **बुनकर सेवा केंद्र:** हथकरघा बुनकरों को कौशल, उन्नयन, डिजाइन एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा राज्य सरकारों के साथ संपर्क में रहना
16. **अन्य हथकरघा योजनाएं:** स्थापना, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय और विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय से संबंधित अन्य विविध व्यय, संग्रहालय, हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्पादन अधिनियम, 1985 के अनुच्छेद के हथकरघा (संरक्षण) के क्रियान्वयन और विकास आयुक्त हथकरघा (प्रवर्तन) से संबंधित है।
17. **राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी):** हथकरघा बुनकरों और हथकरघा क्षेत्र के कारीगरों का विकास।
18. **प्रशिक्षण एवं विस्तार:** यह प्रशासनिक व्यय हैं जिन्हें बंद विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के लिए पूरा करना होता है।
19. **डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन योजना:** इस योजना का उद्देश्य नई डिजाइन के विकास और शिल्पियों के मुधरे/आधुनिक उपकरणों के प्रोटोटाइप की आपूर्ति, परंपरागत विरासत के संरक्षण के लिए दुर्लभ शिल्प के पुनरुद्धार के माध्यम से कारीगरों के कौशल का उन्नयन करना है।
20. **अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना:** इस योजना का उद्देश्य शिल्पियों के क्लस्टरों को व्यवसायिक तौर पर प्रबंधित और प्रभावशाली सदस्य प्रतिभागिता और पारस्परिक सहयोग के सिद्धांत पर आत्मनिर्भर सामुदायिक उद्यम के रूप में विकसित करके भारतीय हस्तशिल्प का संवर्धन करना है।
21. **विपणन सहायता एवं सेवाएं:** रोजगार और शिल्पकारों की आय में वृद्धि करने तथा विश्व बाजार में हस्तशिल्प की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि करने, बाजार अनुसंधान करने, भारत और विदेश में कार्यशाला तथा संगोष्ठी करने के लिए काउंसिल और हस्तशिल्प विकास निगम को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हस्तशिल्प का विकास, विस्तार करना और विपणन को बनाए रखना है।
22. **हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजनाएं:** इस योजना का उद्देश्य 18-60 वर्ष की आयु के बीच वाले हस्तशिल्प कारीगरों को सुविधा प्रदान करने के लिए जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना है।
23. **अनुसंधान एवं विकास - हस्तशिल्प:** आर्थिक और सामाजिक तथा हस्तशिल्प के परंपरागत और संवर्धनात्मक पहलू पर फीडबैक के लिए अध्ययन करना।
24. **मानव संसाधन विकास - हस्तशिल्प:** विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय और एनजीओ में कार्यरत स्टाफ को आईटी, वित्तीय प्रबंधन और परियोजनाओं का क्रियान्वयन के विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना।
25. **अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास योजना:** यह प्रावधान अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास स्कीम के लिए है।
26. **व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास कार्यक्रम - हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर:** हस्तशिल्प मेगाक्लस्टर की स्थापना हेतु है।
27. **अन्य हस्तशिल्प योजनाएं:** यह व्यय स्थापना, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय से संबंधित अन्य विविध व्यय, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रशिक्षण एवं विस्तार, विपणन एवं सेवा विस्तार, आर्थिक एवं शिल्प अनुसंधान और निर्यात संवर्धन से संबंधित है।
28. **एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम:** ऊन उद्योग एवं ऊन उत्पादकों को सहायता मुहैया कराने के लिए, गुणवत्ता के संबंध में उत्पाद एवं तकनीक को अध्ययन करने के लिए, परिशोधन, कार्बनीकरण, धुनाई, रंगाई, कटाई, बुनाई और मौजूदा मशीनों/संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए ऊन परिशोधन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, लद्दाख क्षेत्र में पशमीना ऊन का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ऊन उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए और ऊन उत्पादकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए और ऊन विकास बोर्ड से संबंधित प्रशासनिक व्यय के लिए।
29. **केन्द्रीय रेशम बोर्ड:** केन्द्रीय रेशम बोर्ड रेशम के विकास में सहायता प्रदान करता है।
30. **रेशम मेगा क्लस्टर:** रेशम मेगाक्लस्टर की स्थापना करना।
31. **जूट क्षेत्र के विकास हेतु योजना:** इस योजना में राष्ट्रीय जूट बोर्ड के प्रशिक्षण / विकास, बाजार संवर्धन और विकास गतिविधियों के लिए प्रावधान है। यह व्यय पहले जूट उपकर संग्रह के निपटान किए गए भुगतान से पूरा किया जा रहा था।
32. **बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को सस्मिडी:** एमएसपी अभियान चलाने के लिए जेसीआई को सहायता
33. **अन्य (आईजेआईआरए, सीओपीजेसी):** भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ, पटसन कंपनियों के भुगतान आयुक्त के प्रशासनिक व्यय।
34. **पावर टेक्स इंडिया:** विद्युत्करघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए, विद्युत्करघा उद्योग/बुनकरों को बेहतर तकनीकी सेवा मुहैया कराने के लिए, नये पीएससी स्थापित करने के लिए, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन के माध्यम से उनके उत्पादों के विक्रय की सुविधा मुहैया कराने के लिए, नवीनतम डिजाइनों, उत्पादों और उत्पाद विविधताओं आदि के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्लस्टरों में समान्य सुविधा केन्द्र, यार्न बैंक और सूत उद्यम पूंजी निधि स्थापित करने के लिए और विद्युत्करघा उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए। मौजूदा एवं नये क्लस्टर में आधुनिक करघों के लिए कार्यशाला स्थापित करने के लिए जिससे व्यवसाय परिचालन के लिए अपेक्षित अर्थव्यवस्था का मानदण्ड प्राप्त होगा।
35. **व्यापक विद्युत् करघा क्लस्टर विकास कार्यक्रम - विद्युत् करघा मेगा क्लस्टर:** इस प्रावधान में विद्युत्करघा मेगाक्लस्टर की स्थापना शामिल है।
36. **एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना:** पर्यावरण अनुकूल प्रसंस्करण मानकों तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए वस्त्र उद्योग को सुविधा प्रदान करना
37. **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना:** वस्त्र इकाइयों की स्थापना हेतु विश्व स्तरीय अवसंरचना के विकास को सुविधा प्रदान करना।
38. **वस्त्र समिति को सहायक:** इसके कार्यों में निर्यातों को बढ़ावा देना, तकनीकी एवं आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान, परामर्श, वस्त्र एवं वस्त्र मशीनरी के लिए मानकों को स्थापित करना, प्रयोगशालाओं की स्थापना और आंकड़ों का संग्रहण आदि शामिल हैं।

39. **फ्लैट फैक्टरी सह इन्क्यूबेटर:** स्टार्ट—अप के लिए एकीकृत कार्यस्थल तथा संपर्क आधारित उद्यमीय वातावरण सृजित करना।
40. **निर्यात संवर्धन के लिए अध्यक्षन:** वस्त्र निर्यातों हेतु गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से महत्वपूर्ण कदमों और रणनीतियों से संबंधित अनुसंधान अध्ययनों को बढ़ावा देना।
41. **टैक्सटाइल हेतु उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** वस्त्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना एमएमएफ परिधान, एमएमएफ कपड़े और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है।
42. **अन्य (टीआरए, सीओपी):** टीआरए तथा भुगतान आयुक्त के स्थापना व्यय के आवर्ती व्यय के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराना।
43. **एकीकृत कौशल विकास योजना:** कौशल विकास के लिए वस्त्र एवं संबद्ध क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षित करना।
44. **वस्त्र अनुसंधान एवं विकास:** वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना और टीआरए, संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध विकास आयुक्त ध कराना।
45. **राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान:** निफ्ट पेशेवर लोगों को फैशन उद्योग के लिए विकसित करने हेतु विभिन्न पूर्णअवधि के डिग्री/डिप्लोमा तथा अंशकालिक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है।
46. **तकनीकी वस्त्र पर प्रौद्योगिकी मिशन:** तकनीकी वस्त्र उद्योग में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
47. **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन:** तकनीकी वस्त्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए।
48. **टैक्सटाइल क्लस्टर विकास योजना:** टेक्सटाइल क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम टेक्सटाइल क्लस्टर को बढ़ावा देने के लिए है।
49. **एनईआर वस्त्र संवर्धन योजना:** पूर्वोत्तर वस्त्र संवर्धन योजना का उद्देश्य कच्ची सामग्री, बीज बैंकों, मशीनरी, सामान्य सुविधा केंद्रों, कौशल विकास, डिजाइन एवं विपणन सहायता आदि आवश्यक सरकारी सहायता उपलब्ध कराकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र को विकसित एवं आधुनिकीकृत करना है।
50. **पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव-वस्त्रों के उपयोग की योजना:** सामान्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में अवसरचना के विकास के लिए जैव-टेक्सटाइल का उपयोग करना।
51. **पीएम-एमआईटीआरए:** पीएम - मित्र कपड़ा श्रमिकों के कौशल विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना है।
52. **हथकरघा का संरक्षण और हथकरघा का कार्यान्वयन (वस्तु और उत्पादन का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के रक्षण हेतु स्कीम:** हथकरघा संरक्षण और हथकरघा के कार्यान्वयन के लिए योजना (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985।
53. **खुदरा सामग्री आपूर्ति योजना:** कच्चे माल की आपूर्ति योजना एनएचडीपी के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार के धागे उपलब्ध कराने के लिए है।

54. **टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन और आईजेआईआरए:** कपड़ा अनुसंधान संघों (टीआरए) संस्थानों आदि के आवर्ती व्यय के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए जूट उद्योग अनुसंधान संघ के प्रशासनिक व्यय।
55. **भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी):** कालीन प्रौद्योगिकी और संस्थागत खर्चों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी)।
56. **सरदार बल्लभभाई पटेल टैक्सटाइल प्रबंधन संस्थान को सहायता:** सरदार बल्लभभाई पटेल वस्त्र प्रबंधन संस्थान को सहायता।
57. **राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम:** सरकार की खाद्य प्रसंस्करण एजेंसियों को आपूर्ति हेतु पटसन के सामानों (बोरों) के विनिर्माण के कारोबार का संचालन करना।
58. **बर्ड जूट निर्यात निगम:** पटसन फैब्रिक की एक विनिर्माण इकाई।
59. **ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड:** वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक वीआईएफआर संदर्भित कंपनी।
60. **पीएसयू को सहायता:** वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत पीएसयू के कर्मचारियों के लिए वीआरएस के कार्य प्रचालन और अनुदान को समाप्त करने के लिए।
61. **कपास और कपास सलाहकार समिति के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को योगदान:** इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन एंड कॉटन एडवाइजरी कमेटी में योगदान।
62. **वास्तविक वसूलियां:** वास्तविक वसूली।